

05.02.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपर

वकील उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि वाद में वर्णित शूनि की कमेटी का गठन किया जाकर पैमाइश कावाई जाकर पैमाइश के बाधार् पर लही स्थान पर रास्ता चालू कराया जावे और उन्हे कोई बापति नही हो। दबा वकील उभयपक्ष का निवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शबला को निर्दिष्ट किया जाता है कि वाद में वर्णित शूनि ~~की~~ कमेटी का गठन किया जाकर पैमाइश कावाई जावे एवं पैमाइश के बाधार् पर लही स्थान पर रास्ता को चालू कराया जावे। तहसीलदार शबला को पत्र जारी हो। पत्रावली में झोर कापीवाही इमेजित नही है। पत्रावली बाद तहसील तकनील होकर शामिल दफ्तर हो।

निर्णय लिया जाकर पुणे न्यायालय में पुनाया गया।



(दीपक चन्दन)  
R.A.S.

8-1-25  
